(५) निग / 3096/ III/15

5 रु. भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES Rs.5 — 5 रु. भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES Rs.5 — 20 रु. COURT FEE भारत बीस रुपये INDIA TWENTY RUPEES Rs.20

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१५ निगरानी

१- सीताराम पुत्र नारायण सिंह रावत,
२- धर्मेन्द्र पुत्रगण सीताराम रावत,
३- हरबीर ।
४- ठाकुरलाल पुत्र लिलुआ सेहर,
समस्त निवासीगण - ग्राम- पडोरा,तेहसील कोलारस जिला शिवपुरी-मध्यप्रदेश ।

दिनाँक 11-9-15 को श्री क.ब० के० ... ... द्वारा प्रस्तुत
11.9.15

------ प्रार्थीगण

विरुध्द

१- औतार सिंह पुत्र हुकुम सिंह जाट,
२- श्रीमती सोमोती पत्नी औतार सिंह जाट,
निवासीगण ग्राम टैहरकी तेहसील पलवल, जिला फरीदाबाद,हरियाणा-हाल निवासीगण ग्राम टीला,तेहसील कोलारस, जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश)

------ प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुध्द आदेश एस०डी०ओ०महोदय कोलारस दिनांकी ३१-०७-२०१५ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९। प्र०क्र० २६/१४-१५ अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की विवादित आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं रूप से नहीं समझा है ।

३- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने धारा २५० भू-राजस्व संहिता के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3096–तीन/2015 जिला शिवपुरी

सीताराम आदि विरूद्ध औतार सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–9–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी कोलारस जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 26/2014–15/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 31–7–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 31–7–2015 को अंतिम आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त को की जानी चाहिए। आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के स्वंतत्र है। दर्शित परिस्थितियों निगरानी इस न्यायालय प्रचलन योग्य नहीं होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	